बिहार सरकार

(राजस्व विभाग भू–अर्जन शाखा)

|| अधिघोषणा ||

संख्या ...–2885/रा0   पटना, दिनांक–12–12–13

चूंकि बिहार राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि ग्राम– विशुनपुर, थाना– कदवा, थाना नं. – 320 परगना– कदवा, जिला– कटिहार सार्वजनिक प्रयोजनार्थ कोशी योजना अन्तर्गत महानन्दा दायां तटबंध के लिए सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है, इसलिए इसके द्वारा अधिघोषित किया जाता है कि उपरोक्त प्रयोजनार्थ पूर्वोक्त ग्राम– विशुनपुर, थाना– कदवा, थाना नं.– 320 के भीतर भूमि का एक टुकड़ा अपेक्षित है, जो मानक माप से कम वेश 2.15 एकड़ बंजर भूमि × कर्षणीय भूमि– 2.15 एकड़ कुल– 2.15 एकड़ के बराबर होता है, और जिसका अंश खेसरा संख्या निम्नांकित है :– 32,35,41,36,37,38,39,40 एवं 43

तथा जिसका चौहदी निम्न प्रकार है :–

उत्तर : सीमा रेखा ग्राम– हरिपुर

दक्षिण : सीमा रेखा ग्राम– शाहनगर

पूरब : खेसरा संख्या : 32,41,40 एवं 43

पश्चिम : खेसरा संख्या 32,35,36,37,38 एवं 39

भूमि या भूमि के किसी भाग के नीचे पड़ने वाली कोयला, लोहा, पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों को खोदने की आवश्यकता नहीं है, किन्तु खानों और खनिजों के केवल वे भाग जिन्हें जिस कार्य के लिए भूमि अर्जित की जा रही उसके निर्माण के लिए खोदना/हटाना या उपयोग में लाना आवश्यक हो तो लिए जाएंगे।

यह घोषणा अधिनियम, 1894 की धारा 6 और अधिनियम 18, 1885 की धारा 3 के खण्ड–1 के उपबन्धों के अधीन (यथा बिहार अधिनियम 11 सन् 1961 एवं भू–अर्जन संशोधन अधिनियम 1984 द्वारा संशोधित) उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है, जिनका इससे संबंध हो।

भूमि का नक्शा विशेष भू–अर्जन पदाधिकारी, कोशी योजना, सहरसा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0

सरकार के उप सचिव

विशेष भू–अर्जन पदाधिकारी, कोशी योजना, सहरसा | अपर समाहर्त्ता कटिहार | समाहर्त्ता कटिहार | आयुक्त पूर्णिया

ज्ञापांक– 2885/रा0 / पटना, दिनांक–12–12–13/

प्रतिलिपि :– उप समाहर्त्ता प्रभारी, सामान्य प्रशाखा जिला गजट प्रकाशन शाखा, कटिहार को जिला के अगले अंक में प्रकाशित करने तथा इसकी दस अतिरिक्त प्रतियां विशेष भू–अर्जन पदाधिकारी, कोशी योजना, सहरसा को यथाशीघ्र भेजने के लिए भेजी जाती है।

(2) निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को दो दैनिक समाचार पत्रों में यथाशीघ्र प्रकाशित करने हेतु भेजी जाती है।

(3) निदेशक, भू–अर्जन एवं पुनर्वास, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

सरकार के उप सचिव,

बिहार, पटना।